

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.देव.-11-15/2019 ज.सं. 290

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक 18/03/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, दुमका को आवंटनादेश सं.-170, दिनांक-04.02.2019 द्वारा गोड्डा जिलान्तर्गत कझिया वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं नहर का लाईनिंग कार्य हेतु निर्गत रु. 500.00 लाख के विरुद्ध रु. 200.00 लाख (दो करोड़ मात्र) रुपये राशि का प्रत्यार्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-15/19-20 प्र.स्वी., दिनांक-01.07.2019 Online AA-983/24.07.19 एवं आवंटनादेश सं.-170, दिनांक-04.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यार्पण संसूचित किया जाता है।

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यार्पित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य /	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओ का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180796540545	200.00

प्रत्यार्पित राशि - ₹ दो करोड़ मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यार्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/एकराशनामा की राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यार्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	गोड्डा जिलान्तर्गत कझिया वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं नहर का लाईनिंग कार्य।	3455.00 2837.79	0.00	500.00	200.00	300.00	300.00	75686
योग						500.00	200.00	300.00	300.00	


3. प्रत्यार्पित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 14000.00 लाख (₹ एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 290

राँची, दिनांक :- 18/03/2020


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अमिताभ कौशल)
सचिव